



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: उ.कू. (परीक्षा गोपनीय)/2023/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय वित्त समिति की विनिश्चय संख्या-5 दिनांक 16.03.2023 एवं तदनुसार विश्वविद्यालय सिंडिकेट की विनिश्चय संख्या 13-1.30 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए निर्धारित फॉर्म संख्या 24-E (Instructions to Centre Superintendents for the Examinations of 2023) के अन्तर्गत शिक्षकों एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु देय पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक/मानद्यों में परीक्षा-2023 से निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	वर्तमान निर्धारित दर (Per day one session of 3 hrs.)	अभिवृद्धित दर	वर्तमान निर्धारित दर (per day two sessions of 3 hrs. each)	अभिवृद्धित दर	वर्तमान निर्धारित दर (Per day three session of 3 hrs. each)	अभिवृद्धित दर
1.	केन्द्राधीक्षक	Rs. 300/-	450/-	Rs. 500/-	750/-	Rs. 700/-	1000/-
2.	अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक	Rs. 200/-	300/-	Rs. 350/-	550/-	Rs. 500/-	700/-
3.	सहायक केन्द्राधीक्षक	Rs. 160/-	260/-	Rs. 300/-	500/-	Rs. 400/-	600/-
4.	वीक्षक	Rs. 150/-	250/-	-	-	-	-
5.	लिपिक	Rs. 80/- per session	150/-	-	-	-	-
6.	सहायक कर्मचारी	Rs. 60/- per session	120/-	-	-	-	-

Sd/-
कुलसचिव

क्रमांक: उ.कू. (परीक्षा गोपनीय)/2023/ 1199 - 1206

दिनांक: 2.8.23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
2. समस्त संकायों के संयोजक, रा.वि.वि., जयपुर।
3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/विभाग/केन्द्र, रा.वि.वि., जयपुर।
5. उप कुलसचिव (लेखा एवं वित्त), रा.वि.वि., जयपुर को उनके पत्र क्रमांक A&F/2023/2398-2409 dated 27.07.2023 के संदर्भ में वित्त समिति द्वारा की गई अनुशांसा (विनिश्चय संख्या-5 दिनांक 16.03.2023) के अनुसरण में परीक्षा अनुभाग द्वारा की गई उक्तानुसार कार्यवाही की सूचना Action Taken Report के संदर्भ में प्रेषित है।
6. उप कुलसचिव (शैक्षणिक-प्रथम), रा.वि.वि., जयपुर को सिंडिकेट के विनिश्चय संख्या 13-1.30 दिनांक 28.06.2023 के अनुसरण में परीक्षा अनुभाग द्वारा की गई उक्तानुसार कार्यवाही की सूचना Action Taken Report के संदर्भ में प्रेषित है।
7. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने का श्रम करायें।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।

11/08/23
परीक्षा नियंत्रक